# फर्द अहकाम

(नियम–26)

## अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

**उदयराम पिता मोहनलाल राव निवासी जाड़ाना तहसील राशमी वगैरा**

**बनाम**

**तहसीलदार राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़**

**प्रकरण संख्या 38/2021 (रा.अ.)**

| तारीख हुक्म | *हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.09.24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट आज भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रुक–रुक कर तीन–चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलांट प्रकरण में लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रुक–रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |